

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 349/15

संस्थित दिनांक-10.06.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

रूपनारायण पुत्र नेकसेराम राठौर उम्र 36 साल
निवासी गददाईपुरा दुर्गापुरी हजीरा ग्वालियर

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 16.11.2016 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 18.04.15 को करीब 11:50 बजे किशोरी मेडीकल के सामने गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम०पी०-०७ जी-4463 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 337 का उपशमन किया गया।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी कृष्णसिंह अपनी पत्नी राजकुंअर को दिनांक 18.04.15 को उसके गांव मेघपुरा से ग्वालियर मोटरसाईकिल प्लेटिना नंबर एम०पी०-०७ एम०एफ०-3304 से लेकर जा रहा था, पत्नी पीछे बैठी थी। जैसे ही भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर किशोरी मेडीकल के सामने पहुंचा तो ग्वालियर तरफ से एक डीजल टैंकर पीले रंग का एम०पी०-०७ जी०-4463 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाईकल में टक्कर मार दी जिससे रामकुंअर को चोटें आईं। टैंकर को वहीं खड़ा करा दिया। चालक का नाम पूछा तो रूपनारायण राठौर बताया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-68/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, नक्शाभौक बनाया गया, चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर० कर गिर० पत्रक बनाया गया बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.04.15 को करीब 11:50 बजे किशोरी मेडीकल के सामने गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 जी-4463 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में श्रीकृष्ण अ0सा0 1, श्रीमती रामकुंअर अ0सा0 2, कुलदीप अ0सा0 3 तथा रूस्तमसिंह अ0सा0 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी कृष्णसिंह अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना करीब डेढ साल पहले दिन के 11-12 बजे की है, वे अपनी पत्नी रामकुंअर के साथ मोटरसाईकिल क्र० एम0पी0-07 एम0एफ0-3304 से ग्वालियर जा रहा था। वह मोटरसाईकिल चला रहे थे और पीछे पत्नी बैठी थी। जैसे ही गोहद चौराहे पर किशोरी मेडीकल के पास आया तभी ग्वालियर तरफ से डीजल इंजिन से उसकी गाडी की टक्कर हो गयी। साक्षी घटना के संबंध में थाना गोहद चौराहा में रिपोर्ट करना बताते हैं। प्राथमिकी प्रपी0 1 पर ए से ए भाग पर तथा नक्शामौका प्र0पी0 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हैं। फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में न तो यह कथन करते हैं कि कथित टेंकर का चालक कौन था तथा कथित टेंकर किस रीति से चल रहा था। प्रकरण में आहत रामकुंअर देवी अ0सा0 2 भी श्रीकृष्ण अ0सा0 1 के समान कथन करती हैं और उनकी मोटरसाईकिल की टक्कर ग्वालियर तरफ से आ रहे डीजल टेंकर से हो जाने का कथन करती हैं किन्तु यह साक्षी भी कथित टेंकर का नंबर व उसके दुर्घटना के समय चलने की रीति का कोई कथन नहीं करती।

8. फरियादी श्रीकृष्ण अ0सा0 1 व रामकुंअर अ0सा0 2 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न में कथित टेंकर का नंबर एम0पी0-07 जी0-4463 होने के संबंध में सुझाव दिया गया तो साक्षियों द्वारा उक्त सुझाव से इंकार किया। फरियादी श्रीकृष्ण अ0सा0 1 ने इस सुझाव से इंकार किया कि टेंकर को रोककर खडा करवाया था और नाम पूछने पर रूपनारायण राठौर होना बताया था। उक्त साक्षीगण द्वारा सूचक प्रश्नों में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को कोई टक्कर मारने के तथ्य से स्पष्टतः इंकार किया है। प्रकरण में अन्य चक्षुदर्शी साक्षी कुलदीप अ0सा0 3 व रूस्तमसिंह अ0सा0 4 हैं। उक्त दोनों साक्षी भी अपने अभिसाक्ष्य में किसी डंफर से दुर्घटना कारित होने के संबंध में कथन करते हैं और पीछे से बाद में पहुंचने का कथन करते हैं। अभियोजन साक्षियों द्वारा उनके पुलिस कथन क्रमशः प्र0पी0 3 लगायत 6 में विनिर्दिष्ट भाग के तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है।

9. फरियादी श्रीकृष्ण अ0सा0 1 ने रिपोर्ट प्रपी0 1 में बी से बी भाग पर टेंकर पीले रंग के क्रमांक एम0पी0-07 जी0-4463 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से टेंकर चलाकर मोटरसाईकल

में टक्कर मारने का तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है साथ ही सी से सी भाग पर अभियुक्त का नाम चालक के रूप में लिखाए जाने से इंकार किया है। प्राथमिकी सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तार के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

10. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के अधिपत्य से वाहन के मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्तकर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। धारा 337 भादवि० के आरोप से अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।

11. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

12. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)